(72).

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3518–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–1–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार वृत्त 3 तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 116/अ–6–अ/2011–12.

.....

अनवर शाह आत्मज स्व0श्री अकबर शाह
निवासी 11 नियामतपुरा शाहजहांनाबाद,
भोपाल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

.....

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक– आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/7/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार वृत्त 3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–01–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत आवेदक के स्वामित्व की भूमि के संबंध में वर्ष 1992 में हुये बन्दोबस्त की त्रुटि की सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 116/अ–6–अ/2011–12 दर्ज कर तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा गया । तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन चाहा गया । तहसीलदार द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन भेजा गया । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर

दिनांक 12–1–2015 को आदेश पारित कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में प्रतिवेदन दिनांक 25–7–14 का अवलोकन नहीं किया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बन्दोबस्त के पूर्व के नक्शे एवं बाद के नक्शे में भिन्नता है और दोनों का मिलान करने पर नक्शे में भूमियों में अन्तर पाया गया है जिसे लालस्याही से अंकित किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन से आदेश पत्रिका दिनांक 1–8–14 में सहमति दी गई है । इसके बावजूद पुनः तहसीलदार को प्रकरण भेजने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में प्रतिवेदन दिनांक 25–7–14 एवं 3–11–14 पर विधिवत् विचार नहीं किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं देकर आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बन्दोबस्त के दौरान प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में स्पष्ट त्रुटि होना परिलक्षित होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र नस्तीबद्ध करने में विधिक त्रुटि की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख के इस प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है । अकेले आवेदक के सर्वे नम्बर में हुई त्रुटि सुधार करना संभव नहीं है, जब तक की सम्पूर्ण क्षेत्र का सुधार नहीं किया जाये, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । यदि आवेदक के सर्वे नम्बर में हुई त्रुटि सुधार करने से अन्य लोग प्रभावित थे, तब तहसीलदार को उन्हें सुनकर विधिवत् आदेश पारित करना चाहिये था । इस

प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि आवेदक सहित अन्य सभी प्रभावित व्यक्तियों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रश्नाधीन भूमि में हुई त्रुटि को सुधार करने की कार्यवाही की जाये ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार वृत्त 3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–01–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण कर आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर